

राजस्थान सरकार

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग

कमरा नं० 7209, द्वितीय तल, खाद्य भवन, सचिवालय, जयपुर
फोन नं० 0141-2227047 फैक्स नं० 0141-2227281
ई-मेल: jsecy.tad@gmail.com Website: www.tad.rajasthan.gov.in

क्रमांक: एफ.6/लेखा/सीटीएडी/प्रस्ताव/2019-20

जयपुर, दिनांक 6/11/2019

स्वीकृति सं० 31/2019-20


पुनर्विनियोजन स्वीकृति

वित्तीय वर्ष 2019-20 में निम्नांकित विवरण अनुसार पुनर्विनियोजन किये जाने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है :-

(राशि रु. लाखों में)


लेखामद जिससे पुनर्विनियोजन करना है।				लेखा मद जिनमें पुनर्विनियोजन करना है।			
लेखामद	बजट 2019-20	समर्पित राशि	समर्पण पश्चात कुल प्रावधान राशि (2-3)	लेखामद	बजट अनुमान	पुनर्विनियोजन की राशि	पुनर्विनियोजन के बाद कुल प्रावधान राशि (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2225-02-796-(18)-[01]-12 सहायतार्थ अनुदान	1538.00	500.00	1038.00	2225-02-796-(18)-[06]-12 सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन)	0.01	500.00	500.01
योग	1538.00	500.00	1038.00		0.01	500.00	500.01

विशेष टिप्पणी:- वित्त विभाग की आईडी संख्या 161901016 दिनांक 31.10.2019 में अंकित टिप्पणी अनुसार जिन मदों में से राशि की बचत से पुनर्विनियोजन किया गया है उन मदों में इस वर्ष पुनः राशि स्वीकृत नहीं की जायेगी। साथ ही भविष्य में उक्त राशि आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के निजी निक्षेप खातों में अंतरित करने के स्थान पर व्यय से सम्बन्धित आब्जेक्ट हेड में ही प्रावधित करने की कार्यवाही की जावे, जिससे की व्यय उसी आब्जेक्ट हेड में ही कोषालय के माध्यम से किया जा सके। यह स्वीकृति संयुक्त शासन सचिव वित्त (व्यय-2) विभाग द्वारा उनके अन्तर्विभागीय संख्या 161901016 दिनांक 31.10.2019 द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।


(रामेश्वर प्रसाद मोना)
संयुक्त निदेशक(मोने)

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव-मुख्यमंत्री/विशिष्ट सहायक-राज्यमंत्री,टीएडी/निजी सचिव-प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।
2. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर (आडिट/लेखे)।
3. आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-1)।
5. निदेशक, वित्त (आय-व्ययक) विभाग
6. अतिरिक्त आयुक्त उपयोजना/माडा जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
7. वित्तीय सलाहकार, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
8. कोषाधिकारी, उदयपुर।
9. संयुक्त निदेशक (मोने.) टीएडी, जयपुर।
10. एसीपी कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
11. प्रोग्रामर कार्यालय हाजा।
12. गार्ड फाईल।


लेखाधिकारी

स्वीकृति सं० 31/2019-20
दिनांक 6/11/2019